न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4064—एक / 2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10—2012 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 177 / अपील / 2011—12 178 / अपील / 2011—12 एवं 179 / अपील / 2011—12

1— पंकज कुमार पिता घनश्याम अटल
निवासी—आगर मालवा जिला शाजापुर
2— नितिन कुमार पिता घनश्याम अटल
निवासी—आगर मालवा जिला शाजापुर
3— सुमीत कुमार पिता घनश्याम अटल
निवासी—आगर मालवा जिला शाजापुर
4— जगदीश पिता गोरधलाल लाठी,
सर्व जाति माहेश्वरी
5— रामलतादेवी विधवा महेशचन्द्र खण्डेलवाल
निवासी छावनी आगर हाल मुकाम 201,
सागर गार्डन, कोलार रोड, भोपाल

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1— दिनेश कुमार पिता रामकृष्ण खण्डेलवाल
निवासी—सदर बाजार छावनी आगर,
2— विवेक कुमार पिता दिनेश खण्डेलवाल
निवासी—सदर बाजार छावनी आगर
3— श्रीमती रूकमणी देवी पति दिनेश कुमार खण्डेलवाल
निवासी—सदर बाजार छावनी आगर,
4— आयुक्त महोदय राजस्व, कोठी पैलेस उज्जैन

..........अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 से 3 तक
श्री बी0एन0 त्यागी पेनल अभिभाषक अनावेदक क्र0 4 शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ... को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू0-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-10-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा छावनी आगर जिला शाजापुर में स्थित आवेदकगण के स्वामितव एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 181, 182, 183 कुल रकबा 3.032 हे0 में से रकबा 1.010 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार राजस्व न्यायालय तहसील आगर में उक्त क्रय की गई भूमियों पर नामांतरण स्वीकृत किया गया । दिनांक 01-09-2011 को आवेदकगण ने उक्त वर्णित भूमि क्रय की । राजस्व अभिलेखों में नामांतरण स्वीकृत हुआ । उक्त दिनांक तक विवादित भूमि पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन अस्तित्व में नहीं था । आवेदकगण के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने प्रथम अपील अनुविभागीय आगर के यहाँ प्रस्तुत कर दी । अनावेदकगण की अपील खारिज होकर आवेदकगण के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश स्थिर रखा गया । अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय आगर के पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील संभाग आयुक्त उज्जैन के यहां प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 177/अपील/2011-12, 178/अपील/2011-12 एवं 179/अपील/2011-12 पंजीबद्ध की जाकर एक जैसा विषयवस्तु पर आधारित होने से आयुक्त उज्जैन ने तीनो प्रकरणो का समाकलन कर दिनांक 24-7-2012 को आवेदकगण के एक आवेदन पर निराकरण हेतु समाकलन कर लिया और एक साथ तीनों प्रकरणों में एक जैसी कार्यवाहिया की जाने लगी । अनावेदकगण द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई उन अपीलों में ग्राह्यता ... दिनांक 07-05-2012 को आवेदकगण द्वारा रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न उठाया गया ... आयुक्त द्वारा स्वीकार किया गया एवं ग्राह्यता के प्रश्न पर अधीनस्थ न्यायालय ...

अभिलेख को आहूत करवा कर जो अभिलेख आयुक्त के यहा आहूत होकर प्रकरण में संलग्न भी हो गया । इसके बाद आवेदकगण द्वारा दिनांक 03-07-2012 को अर्जेण्ट हियरिंग का आवेदन देकर आयुक्त उज्जैन के प्रस्तुत अपीलों में निवेदन किया गया कि एक ही विषयवस्तु पर आधारित अनेक न्यायालयों में कार्यवाहियां प्रचलित नहीं रह सकती । अतः अपीलाण्ट से तत्काल (अनावेदकगण) से जवाब लिया जाकर यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि अनावेदकगण सिविल न्यायालय में कार्यवाहियां प्रचलित रखना चाहते है अथवा नहीं । ग्राह्यता के प्रश्न का निराकरण न कर तथा अर्जेण्ट हियरिंग के आवेदन का निराकरण न कर अपील के मूल प्रश्न सुने जाने के अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा किये गये निवेदन को स्वीकार करते हुए संभाग आयुक्त उज्जैन द्वारा विधि के विपरीत आदेश दिनांक 30-10-2012 पारित किया गया । आयुक्त उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-10-2012 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि क्रय की गई तथा राजस्व अभिलेखों में नामांतरण स्वीकृत की गई है । आवेदकगण के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश को चुनौती देते हुए अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी आगर के समक्ष प्रस्तुत की गई, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण आदेश बहाल हो रखा एवं प्रथम अपील खारिज किया गया । अनावेदकगण ने जिस विषयवस्तु को लेकर जिन पक्षकारों के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त उज्जैन के यहा प्रस्तुत की थी उसी विषयवस्तु को लेकर एक प्रकरण न्यायालय तहसील आगर में भी प्रकरण क्रं0 9/अ-6/2011-12 विवेक कुमार वि0 रामलतादेवी एक्त प्रस्तुत अपील के पूर्व से प्रचलित करा रखा था जो आज तक प्रचलित है तथा इसी तरह अनावेदकगण विवेक द्वारा एक सिविल वाद भी न्यायालय अतिरिक्त जिला जज आगर में अपील की विषयवस्तु पर ही आधारित प्रचलित करवाया जो प्रकरण क्रमांक 18-ए/12 जा0दि0 पर संस्थित होकर विवेक वि0 रामलता आदि के नाम से आज दिनांक तक प्रचलित है तथा यह वाद अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त

उज्जैन के यहा प्रचलित करने के बाद प्रस्तुत करवाया । दिनांक 30–10–2012 [illegible] अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त के यहां प्रकरण क्रमांक 177 178 [illegible] 179/अपील/2011–12 आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अर्जेण्ट हियरिंग आवेदन जो कि अपील के ग्राह्यता के संदर्भ में व प्रचलनशीलता के संदर्भ मे था उस बावत तर्क हेतु रखी गई थी तथा आयुक्त ने भी अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण में दिनाक 7–5–2012 को ग्राह्यता के प्रश्न के निराकरण हेतु ही प्रकरण नियत किया था । बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील प्रकरणों में ग्राह्यता के प्रश्न का निराकरण न करके स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 07–05–2012 एवं दिनांक 24–07–2012 के भी विपरीत जाकर प्रकरण में दिनांक 30–10–2012 को अपील की ग्राहयता के प्रश्न का निराकरण न कर तथा अर्जेण्ट हियरिंग के आवेदन का निराकरण न कर अपील के मूल प्रश्न सुने जाने के अनावेदकगण अभिभाषक के निवेदन को स्वीकार करके गंभीर भूल की है जो आदेश दिनांक 30–10–2012 निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से बताया है कि आवेदकगण के द्वारा यह निगरानी आवेदन अधीनस्थ आयुक्त उज्जैन संभाग के द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की वैधानिक प्रक्रम अनुसार पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 के विरूद्ध निराधार तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित वैधानिक कार्यवाही का अकारण लंबित किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनाक 07–05–2012 एवं दिनांक 03–07–2012 [illegible] आदेश पत्रों का उल्लेख किया है वे पूर्ण रूपेण अवैधानिक है उनके द्वारा दिनाक 07–05–2012 को Resjudicata के आधार पर प्रकरण की ग्राहिता पर आपत्ति की थी उक्त सिद्धांत अनावेदकगण या तो समख नहीं पाये है अथवा अकारण न्यायालय को दिग्भ्रमित करना चाहते है उनके द्वारा अनावेदकगण के द्वारा लंबित [illegible] का उल्लेख किया हुआ है निश्चित रूप से वे विवादित भूमि के सर्वे नम्बर के संबंध में है परतु हर प्रकरण के मूल तथ्य अलग–अलग आधार पर है जिनके लिये प्रकरण म

संलग्न अभिलेख पर अवलोकन किया जाना आवश्यक है । विवादित भूमि मूलतः स्व0 श्री रामकृष्ण जी के नाम से थी तथा वे उक्त सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के भी स्वामी थे । उनके द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति के संदर्भ में उनके एक वसीयतनामा दिनांक 20–03–1988 को सम्पादित किया गया था जिसके अनुसार विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 181, 182, एवं 183 को इन्होंने अपने पौत्र एवं पुत्रवधु को वसीयत दी थी साथ उनके स्वत्व के भवन सम्पत्ति को अन्य पुत्रवधू श्रीमती रामलता देवी को दिया था । स्व0 श्री रामकृष्ण जी का देहांत दिनांक 04–04–1988 को हो जाने के पश्चात उक्त वसीयत के आधार पर अपना नामांकन करा लिया परंतु तहसील न्यायालय में वसीयत के तथ्य को छुपाते हुये स्व0 श्री रामकृष्ण जी के नाम से अभिलिखित कृषि भूमि पर अपने तथा दिनेश कुमार एवं श्रीमती गीता बाई के नाम 1/3 समान भाग का नामांकन करा लिया जिसकी उन्हें कोई पात्रता नहीं थी । तहसील द्वारा उक्त नामांकन के पश्चात उन्होंने अन्य आवेदकगण के नाम तीन विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूमि अंतरित कर दी । अनावेदक द्वारा मूल नामांकन आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहा अपील की जो स्वीकृत होकर तहसील न्यायालय का नामांकन आदेश निरस्त कर पुनः जांच के बाद नामांकन किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया जो लंबित है । साथ ही श्रीमती रामलता द्वारा अवैधानिक रूप से अंतरित विक्रय पत्रों के आधार पर हुये नामांकन के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील की गई है, जो लंबित है । साथ ही श्रीमती रामलता द्वारा विक्रीत भूमि शून्य घोषित किये जाने हेतु व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया है, जो लंबित है । इस प्रकार से सम्पूर्ण प्रकरण विवादित भूमि के संदर्भ में होते हुए भी अलग–अलग तथ्यों पर दायर किये गये है जिन पर Resjudicata का सिद्धांत लागू नहीं है । इस संबंध में न्यायादृष्टांत आर0एन0 97 पृष्ठ 351 गणेश आदि बनाम भोला सिंह आदि पस्तुत किया । अन्त में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

5 / उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त के आदेश दिनांक 30–10–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की है , उक्त आदेश द्वारा आयुक्त ने अनावेदक के अनुरोध पर प्रकरण मूल प्रश्न पर सुनवाई हेतु नियत किया । जबकि सुनवाई दिनांक 17–09–2012 को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन का कोई निराकरण नहीं किया । उभयपक्ष द्वारा उक्त विषय पर विभिन्न वैधानिक बिन्दु पेश किये गये है जिन पर इस निगरानी में विचार न करते हुये यह निगरानी आयुक्त को इन निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है कि मूल प्रश्न पर विचार से पहले वह उभयपक्ष को आवेदक की आपत्ति पर सुनकर आपत्ति का नियमानुसार निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर